बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
<u>आदेश</u>

संचिका संख्या–10/मु०–01–35/2026............ दिनांक–..................

याचिका संख्या–3181/2026 Madrasa Mohammadia Chota Telpa Chhapra through its Secretary Md.Naushad Vs The State of Bihar & Ors. में दिनांक–09.04.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में यह आदेश संसूचित किया जा रहा है।

2. याचिका संख्या–3181/2026 में दिनांक 09.04.2026 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है–

"6. Considering the limited nature of prayer made by learned counsel for the petitioner, this writ application is disposed of directing the Additional Chief Secretary, Department of Education, Government of Bihar, Patna (respondent no.2) to dispose of the pending representation of the petitioner dated 09.12.2025 (Annexure-P/6) within a period of six weeks from the date of receipt/production of a copy of this order, after giving an opportunity of hearing to the petitioner.

7. Needless to emphasize that the final order which shall be passed by respondent no.2 should be a reasoned and speaking order and in case the petitioner is found entitled to the relief, which the petitioner is claiming through the pending representation dated 09.12.2025, then the same should be extended to the petitioner within a further period of four weeks from the date of passing of the final order by the respondent no.2. "

3. माननीय न्यायालय द्वारा उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में वादी द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया। मामले में दिनांक 22.04.2026 को सुनवाई की गई। सुनवाई में वादी द्वारा आवश्यक सभी शर्त्तों का पूर्ण करने का दावा करते हुए इनके मदरसा को अनुदान की श्रेणी में लाने हेतु अनुरोध किया गया है।

4. याचिका के अनुलग्नक–6 के रूप में वादी के दिनांक 09.12.2025 के अभ्यावेदन में वर्णित है कि 1637 कोटि के गैर अनुदानित मदरसा अन्तर्गत विभागीय अनुदान के श्रेणी में लाने के लिए 204 मदरसों का फोल्डर विभाग को उपलब्ध कराया गया है, उसमें सारण जिला के मदरसा संख्या–1871 मदरसा महमदिया छोटा तेलपा छपरा नगर का फोल्डर मदरसा बोर्ड से विभाग को प्राप्त नहीं कराया गया है जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 589 दिनांक 27.07.2023 के द्वारा क्रमशः दो मदरसों यथा मदरसा संख्या–1871 एवं मदरसा संख्या–1874 की स्थलीय जाँच प्रतिवेदन बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को प्राप्त कराई गई, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण के द्वारा विभागीय संकल्प संख्या–1090 दिनांक 29.11. 1980 के सभी मानकों को पूर्ण करने निमित अंकित किया गया है। लेकिन मदरसा बोर्ड के द्वारा मदरसा संख्या–1871 को छोड़कर मदरसा संख्या–1874 को अनुदान की श्रेणी में लाने की अनुशंसा की गई। जिसके आलोक में मदरसा संख्या–1871 मदरसा महमदिया छोटा तेलपा

छपरा नगर को समेकित 204 मदरसा के साथ अनुदान की श्रेणी में लाने हेतु अनुरोध किया गया है।

5. सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के पत्रांक 967 दिनांक 22.04.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि याचिका संख्या–20406/2018 मो0 अलाउद्दीन बिस्मिल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 24.01.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में 2459+1 कोटि के गैर अनुदानित मदरसों की स्थलीय जाँच के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश विभागीय पत्रांक 152 दिनांक 096.02.2023 द्वारा दिया गया। जिसके आलोक में उक्त मदरसा का स्थलीय जाँच प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 589 दिनांक 27.07.2023 एवं सत्यापित प्रति पत्रांक 371 दिनांक 28.05.2025 द्वारा मदरसा बोर्ड को उपलब्ध कराया गया। बोर्ड में गठित त्रिसदस्यीय समीक्षा समिति/प्रस्वीकृति समिति द्वारा समीक्षा में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 589 दिनांक 27.07.2023 में उक्त मदरसा का जाँच प्रतिवेदन एवं पूर्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 732 दिनांक 26.07.2011 एवं पत्रांक 79 दिनांक 26.04.2012 के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में भूमि से संबंधित विवरणी में भिन्नता पाई गई अर्थात पत्रांक 732 दिनांक 26.07.2011 में भूमि की विवरणी यथा हाल–39 सर्किल–05, होल्डिंग–573, मौजा–06 कट्ठा एवं वर्ष 2011 में मजिस्द एवं मदरसा को हिब्बा के रूप में दिखाया गया है। पत्रांक 79 दिनांक 26.04.2012 में मो0 नौशाद द्वारा वार्ड संख्या–06, सर्किल–39 खाता–407, सर्व–1317 तौजी नं0–4533 रकबा–08 कट्ठा 01 धूर कुल 14 कट्ठा एवं वर्ष 2023 के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 589 दिनांक 27.07.2023 में भूमि से संबंधित अभिलेख में लगान रसीद वर्ष 2021–2022 एवं LPC में खाता संख्या–297,460 खेसरा संख्या–1200, 1791, 1317 00 एकड़ 39 डिसमिल सचिव मदरसा द्वारा हल्का पूर्वी तेलपा, मौजा पश्चिमी तेलपा के नाम LPC-297, 460 दर्शाया गया है। इस संबंध में बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में मदरसा की भूमि से संबंधित मामले पर अंचलाधिकारी, सारण सदर से प्रतिवेदन पत्रांक 415 दिनांक 28.01.2026 द्वारा मांगी गई है, जो अप्राप्त है। मदरसा के शिक्षक एवं प्रबंध समिति के कई सदस्य/शिक्षक के बदले जाने से इसकी स्थिति स्पष्ट करने हेतु मदरसा के सचिव/प्राचार्य से प्रतिवेदन पत्रांक 416 दिनांक 28.01.2026 द्वारा मांगी गई है, जो अप्राप्त है। संबंधित से प्रतिवेदन प्राप्ति के उपरांत नियमानुकूल अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु प्रतिवेदित किया गया है।

6. विभागीय संकल्प संख्या–162 दिनांक 15.02.2011 के कंडिका 7 के अनुसार बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा निबंधित 2459+1 मदरसों की जाँच विभागीय संकल्प संख्या–1090 दिनांक 29.11.1980 में निहित शर्तों के आलोक में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से करायी जायेगी। जाँचोंपरान्त उपर्युक्त निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले मदरसों को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्वीकृति प्रदान की जायेगी। तत्पश्चात विहित प्रावधान के अन्तर्गत बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना से अनुशंसा सहित अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत राज्य सरकार अनुदानित करने पर विचार करती है।

7. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली, 2022 के नियम 14 में अंकित है कि मदरसा को अनुदान की श्रेणी में लाने की प्रक्रिया–बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा

निबंधित मदरसों की जाँच विभागीय संकल्प संख्या–1090 दिनांक 29.11.1980 में निहित शर्तों के आलोक में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से करायी जायेगी। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा प्रतिवेदन को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अपने स्तर से सभी संलग्न कागजातों की गहण समीक्षोंपरान्त निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले मदरसों का फोल्डर अनुशंसा सहित शिक्षा विभाग को अनुदान की श्रेणी में लाने हेतु अनुशंसा करेगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्त मदरसों का फोल्डर को शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय संकल्प संख्या–1090 दिनांक 29.11.1980 में निहित शर्तों के आलोक में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले मदरसों को जाँचोंपरान्त अनुदान की श्रेणी में लाने हेतु राज्य सरकार से अनुशंसा की जायेगी।

8. वादी के मदरसा संख्या–1871 मदरसा महमदिया छोटा तेलपा छपरा नगर को अनुदान की श्रेणी में लाने के लिए बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के द्वारा अनुशंसा सहित अभिलेख राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किया गया है एवं उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संदर्भित मदरसा का अंचलाधिकारी, सारण सदर एवं मदरसा के सचिव/प्राचार्य से प्रतिवेदन प्राप्ति के उपरांत बोर्ड की बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जायेगा।

9. अतः वर्णित स्थिति में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली, 2022 के नियम 14 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत मदरसा संख्या–1871 मदरसा महमदिया छोटा तेलपा छपरा नगर को अनुदान की श्रेणी में लाने के लिए बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से अनुशंसा प्राप्त होने पर नियमानुकूल अग्रेत्तर कार्रवाई किया जायेगा। इसके साथ ही इस वाद को निस्तारित किया जाता है।

ह०/–
(डॉ० बी० राजेन्दर),
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–10/मु०–01–35/2026..1091.......... पटना, दिनांक–13-5-26

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, सारण/Md.Naushad, Secretary, Madrasa Mohammadia Chota Telpa Chhapra, Saran/आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.5.26

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।